RCMS
20/9/00/35

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

अनिल कुमार बनाम अवतारसिंह आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 60 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
18.06.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। रेस्पों. सं. 1 की ओर से श्री जगमोहन आहूजा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल रहे। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के अन्तरिम आदेश दिनांक 17.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वह आगामी तारीख पेशी तक प्रश्नगत भूमि तहसील घडसाना के चक 5 जी.एम. के प.नं. 207/36 मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.199 है0 कमाण्ड भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देते हुए अप्रार्थीगण को तलब कर पत्रावली में दिनांक 1706.2019 नियत की गई है। स्थगन प्रा.पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रा.पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में अपीलांट 1/2 हिस्सा के अभिलिखित खातेदार हैं तथा शेष भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 काबिज हैं। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में हाड़ी की फसल खडी है। यदि दौराने अपील रेस्पों. सं. 1 जबरन प्रवेश करने में कामयाब हो गया तो अपीलांट को कानूनी मामलों में उलझना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पों. सं. 1 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रश्नगत भूमि के आधा हिस्से में किसी प्रकार से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय में इसी विवादित भूमि के सम्बन्ध में दो प्रकरण अधी. न्यायालय में चल रहे थे। अपीलांट द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध अपील सं. 54/2019 अनवान अनिल कुमार बनाम अवतार सिंह आदि पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.05.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधी. न्यायालय को रिमाण्ड किया गया तथा निर्देश दिये कि दोनों प्रकरणों को इकजायी करते हुए दिनांक 10.06.2019 को पक्षकारों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे। वकीलों द्वारा कार्य का बहिष्कार होने के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः निवेदन है कि अपीलांट का स्थगन प्रा.पत्र खारिज करते हुए आपके पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में इसी भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध अपील पेश की गई। उक्त आदेश एवं इस अपील के अपीलाधीन आदेश की भूमि एक ही है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जा चुका है। इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में दिनांक 22.05.2019 को प्रकरण को अधी. न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए यह आदेश दिया था कि दोनों प्रकरणों को इकजायी करते हुए दिनांक 10.06.2019 को पक्षकारों को सुनकर विधि अनुसार आदेश पारित किया जावे। वकीलों द्वारा कार्य का बहिष्कार किये जाने के कारण प्रकरण अधी. न्यायालय में अभी विचाराधीन है। जब इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील एवं इस अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में पूर्व ही आदेश दिया जा चुका है तो न्यायालय के मतानुसार अब पुनः उसी भूमि के सम्बन्ध में आदेश दिया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधी. न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अपील सं. 54/2019 अनवान अनिल कुमार बनाम अवतार सिंह निर्णय दिनांक 22.05.2019 में दिये गये निर्देशानुसार पक्षकारों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)